



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082025-265202
CG-DL-E-04082025-265202

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3487]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 2025/श्रावण 13, 1947

No. 3487]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2025/SHRAVANA 13, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2025

का.आ. 3573(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2268(E) तारीख 19.05.2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 20.05.2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा त्रिपुरा राज्य में पानीसागर-अगरतला प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मध्याम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : धलाई राज्य : त्रिपुरा						
सर्कल	तहसील	मौज़ा	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मनु	करमचारा	नालकटा	1525	00	23	25
			1131	00	08	53
			1526	00	01	24
			1130	00	33	96
			1532	00	27	21
			1010	00	01	09
			1522	00	06	76
			1005/p	00	19	41
			1530	00	04	14
			1531	00	13	96
			1132	00	00	44
			1627	00	02	24
			1527	00	01	49
			1003/1905	00	02	19
			1003/p	00	27	76

[फा. सं. एल – 14014-85-2022- जीपी- II (ई - 42603)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2025

S.O. 3573(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2268(E) dated 19.05.2025, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 20.05.2025, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Panisagar-Agartala Gas Pipeline in the state of Tripura by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District : Dhalai				State: Tripura		
Circle	Tehsil	Mouza	Dag No.	Area		
				Hec.	Are	Sq.Mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Manu	Karamcharra	Nalkata	1525	00	23	25
			1131	00	08	53
			1526	00	01	24
			1130	00	33	96
			1532	00	27	21
			1010	00	01	09
			1522	00	06	76
			1005/p	00	19	41

			1530	00	04	14
			1531	00	13	96
			1132	00	00	44
			1627	00	02	24
			1527	00	01	49
			1003/1905	00	02	19
			1003/p	00	27	76

[F. No. L – 14014-85-2022 - GP – II (E - 42603)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.